बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015
आदर्श आचार संहिता

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बेली रोड), बिहार, पटना-800015

फैक्स/ई-मेल
दूरभाष सं0:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:-ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: एम-1-10/2015- 5305 पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 ई0।

प्रेषक

नील कमल,
संयुक्त सचिव

सेवा में

अपर सचिव
परिवहन विभाग
बिहार, पटना।

विषय:- **बिहार विधान** सभा आम **निर्वाचन, 2015**- चुनाव आचार संहिता लागू **होने के** दौरान सभी प्रकार के परमिट के **निर्गमन की** अनुमति प्रदान **करने के** संबंध में।

प्रसंग:- आप का पत्रांक 4568 दिनांक 15.09.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रासंगिक पत्र की कंडिका 2 से यह प्रतीत होता है कि स्वीकृत परमिटों का निर्गमन, परमिट नवीकरण का पृष्ठांकन, पूर्व निर्गत परमिट पर वाहनों का प्रतिस्थापन, पूर्व निर्गत परमिट के द्वितीयक परमिट का निर्गमन, अन्य राज्यों द्वारा परमिट का प्रतिहस्ताक्षर किये जाने संबंधी कार्य परिवहन विभाग का एक रूटीन कार्य है।

2. इसी प्रकार, कंडिका 3 से प्रतीत होता है कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के द्वारा एक नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट एवं नेशनल परमिट प्राप्त करने हेतु वाहन स्वामियों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर संचिकाओं के माध्यम से परमिट निर्गत किया जाता है। **नेशनल परमिट एवं सम्पूर्ण** भारत **पर्यटक परमिट** निर्गत **करने हेतु** बैठक में **निर्णय लिये जाने** की **आवश्यकता नहीं होती है** एवं उक्त परमिट **निर्गमन** संबंधी परिवहन **विभाग का** रूटीन कार्य **है**। इस मामले पर लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 के दौरान इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनापत्ति संसूचित की गयी थी।

उपर्युक्त के आलोक में आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति संसूचित की जाती है कि "आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान नये परमिट का निर्गमन नहीं किया जाये"।

विश्वासभाजन,
25/9/15
(नील कमल)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार,
परिवहन विभाग

ज्ञापांक- 04/एस0टी0ए0-पी3-154/2014 4770 / पटना, दिनांक- 24/09/2015

प्रतिलिपि: संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E:/Vijay Letter P- 18

PTO

पत्रांक- 4770 दिनांक- 24/09/2015

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/ प्रशाखा पदा0 को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।